न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुरेन्द्र प्रसाद, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या– 199/2010

1.जन्नत पुत्री हीरा
2.मो. हुसैन पुत्र हीरा (फौत)
2/1 जेबू पत्नि मो.हुसैन
2/2 फत्तु मोहम्मद पुत्र मो.हुसैन
2/3 दीन मोहम्मद पुत्र मो.हुसैन
2/4 फारूख मोहम्मद पुत्र मो.हुसैन
2/5 रहीम बक्स पुत्र मो.हुसैन
2/6 रफीक मोहम्मद पुत्र मो.हुसैन
2/7 इलियास पुत्र मो.हुसैन
2/8 अनवर मोहम्मद पुत्र मो.हुसैन
2/9 कुर्शीद मोहम्मद पुत्र मो.हुसैन
2/10 अजीजा पुत्री मो. हुसैन समस्त जातियान तेली निवासीगण जायल तहसील जायल जिला नागौर

.....वादीगण

बनाम

1. रजाक पुत्र ईस्माईल
2. सदीक पुत्र ईस्माईल
3. तार मोहम्मद पुत्र ईस्माईल
4. रमजान पुत्र ईस्माईल
5. मो. ईसूब पुत्र ईस्माईल तमाम जातियान तेली निवासीगण छाजोली तहसील जायल
6. जैतून पत्नि महमद उर्फ मुल्ला
7. बाबू मोहम्मद पुत्र महमद (मुल्ला)
8. सलीम पुत्र महमद (मुल्ला)
9. अजीज पुत्र महमद (मुल्ला)
10. नवाब पुत्र महमद (मुल्ला)
11. गरीबन पुत्री महमद (मुल्ला)
12. मुनिया पुत्री महमद (मुल्ला)
13. रजिया पुत्री महमद (मुल्ला) तमाम जातियान तेली निवासीगण जायल
14. तहसीलदार साहब जायल
15. मैनेजर, सैन्ट्रल कॉ. बैंक, जायल

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता

1. श्री रामनारायण चौधरी व अम्बालाल पारासर वादीगण की ओर से।
2. श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी प्रतिवादी सं. 12 की और से।

–: निर्णय :–

दिनांक 28.02.2018

वाद का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि यह वाद पत्र वादीया जन्नत पुत्री हीरा जाति तेली व मो. हुसैन पुत्र हीरा ने धारा 53, 88 व 188 आर.टी.एक्ट. के तहत प्रतिवादी संख्या 1 से

उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर

Scanned by CamScanner

15 के खिलाफ पेश किया। भू–स्वामी को प्रतिवादी संख्या 14 बनाया गया तथा वाद पेश करते समय भूमि सैन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक जायल के रहन होने से मैनेजर सैन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक, जायल को प्रतिवादी संख्या 15 बनाते हुए पेश किया जो वाद तारीख 31.12.2010 को पेश किया गया। वाद को दर्ज कर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 15 को जरिये सम्मन तलब किये गये। अगली नियम पेशी तारीख 25.01.2011 को प्रतिवादीगण संख्या 2,3,4,6,7,9,10,14 के खिलाफ इकतरफा कार्यवाही बावजूद सूचना गैर हाजिर रहने पर की जाकर प्रतिवादी संख्या 1, 5, 11, 12, 13, 15 को पुनः तलब किया गया परन्तु तारीख 04.01.2012 को वाद विड्राल कर लिया गया जिसे पुनः तारीख 26.03.2012 को रेस्टोर किय गया। तारीख 07.03.2014 को प्रतिवादी संख्या 12 मुनिया की और से वकील एस.एस.कालवी ने वकालतनामा पेश किया व शेष प्रतिवादीगण के खिलाफ सम्मन रजिस्ट्रर्ड ए.डी. से भेजने के बावजूद भी गैर हाजिर रहने से इकतरफा कार्यवाही की गई। पत्रावली में लगी ए.डी. रसीद माफिक सम्मन तारीख 13.12.2013 को डाकघर में पेश करना पाया गया तारीख 16.12.2013 के एक माह बाद की अवधि तारीख 16.01.2014 होती है जो तारीख 07.03.2014 को गैर हाजिर रहे यानी तामिल की तारीख के बाद 1 माह की अवधि बीतने के बाद भी अदालत में उपस्थित होकर वाद का विरोध नही किया यानी अप्रत्यक्ष रूप से वाद को स्वीकार किया गया है। नियत पेशी 23.02.2015 को प्रतिवादी संख्या 8 सलीम ने जवाब दावा पेश किया जिसे मियाद बाहर होने के ऐतराज को अस्वीकार करते हुए तारीख 07.10.2015 को रेकर्ड पर लिया जाकर तारीख 26.09.2016 को तनकियात कायम की गई कि :–

(1) आया वादीनी स्व.हीरा की पुत्री होने से खसरा नम्बर 2660, 2680, 2669 मौजा जायल में प्रतिवादीगण के साथ सहखातेदारी की घोषणा कराने की अधिकारी है। (जिम्मे वादी)

(2) आया वादीनी आराजी खेताय में 1/4 हिस्से की घोषणा कराने व स्थायी निषेधाज्ञा पाने की हकदार है। (जिम्मे वादी)

(3) आया वादीया जन्नत स्व. हीरा की सन्तान नहीं है। (जिम्मे प्रतिवादी)

(4) आया खसरा नम्बर 2660 का कागजी बैचान हुआ था, जिस पर कब्जा प्रतिवादी संख्या 8 सलीम का है। (जिम्मे प्रतिवादी)

(5) आया विनाय दावा गलत होने से वादी का वाद खारीज योग्य है। (जिम्मे प्रतिवादी)

आगामी नियम पेशी 14.10.2016 को वादी की साक्ष्य के रूप में जन्नत का शपथ पत्र पेश किया जो तारीख 02.11.2016 को रेकर्ड पर लिया गया व शपथ पत्र पर आपत्ति पेश की जिस आपत्ति पर वकील वादी ने बिना जवाब बहस करने का निवेदन किया जो प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारीज किया गया है तथा आगामी तारीख पेशी 22.02.2017 को जन्नत से जिरह पूर्ण की गई तथा वादी के पक्ष में शपथ पत्र हसन तेली का पेश किया गया तथा दिनांक 17.03.2017 को अ.रहमान तैली का शपथ पत्र पेश किया गया। आगामी तारीख 30.06.2017 को प्रतिवादी संख्या 08 सलीम ने वादीया जन्नत के साथ राजीनामा पेश किया गया जो राजीनामा तस्दीक किया गया तथा वादी संख्या 2 के फौत होने पर कायम मुकामन का प्रार्थना पत्र भी वकील वादी के द्वारा प्रकरण में पेश किया गया है। 1977 RRD पेज 203 पेश कर तर्क दिया कि न्यायालय में वाद पेश करने की कोई Limitation तय नहीं है 1987 RRD पेज 304 पेश कर तर्क दिया कि धारा 19 (2) से आवेदन फाईल नहीं किया हो तो भी घोषणा का वाद पेश करना सही है 1977 RRD पेज 95 (खण्डपीठ) के निर्णय का हवाला दिया व बताया कि यदि पुश्तैनी भूमि हो तो न्यायालय धारा 209 R.T.Act. के तहत शक्तियों का प्रयोग कर खातेदारी प्रदान करने में सक्ष्म है। प्रस्तुत राजीनामा माफिक मौजा जायल खेत खसरा नम्बर 2660, 2668, 2669 कुल तीन खेत रकबा 40.02 बीघा में वादी जन्नत को सहखातेदार घोषित करने बाबत् सहमती देने के कारण पूर्व में पेश जवाबदावा व ऐतराज को अमान्य करते हुए वादीया को स्व. हीरा की जाईन्दा पुत्री मानते हुए राजीनामा पेश किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्धवान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत वादीगण की इस्तदुआ के अनुसार वादीगण का वाद निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है :–

उपखण्ड अधिकारी
जायल,जिला नागौर

Scanned by CamScanner

विवाद केवल वादी व प्रतिवादी सलीम के बीच में था जो विवाद राजीनामा हो जाने से तथा अन्य किसी भी प्रतिवादी के द्वारा विरोध नहीं करने के कारण वादीगण का वाद स्वीकार कर मौजा जायल के खेत खसरा नम्बर 2660, 2668, 2669 कुल तीन खेत रकबा 40.02 बीघा में वादी जन्नत को वादी संख्या 2 मो. हुसैन के वारिसान जैबु पत्नि मो. हुसैन, फतु मोहम्मद पुत्र मो.हुसैन, दीन मोहम्मद पुत्र मो.हुसैन, फारूख मोहम्मद पुत्र मो.हुसैन, रहीम बक्स पुत्र मो.हुसैन, शरीफ मोहम्मद पुत्र मो.हुसैन, इलियास पुत्र मो.हुसैन, अनवर मोहम्मद पुत्र मो.हुसैन, कुर्शीद मोहम्मद पुत्र मो.हुसैन, अजीजा पुत्री मो. हुसैन को प्रतिवादी संख्या 1 से 13 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है।

—: आदेश :—

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर वाद वादीगण का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। इसी माफिक डिक्री पर्चा भरा जाकर तहसीलदार जायल को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी जायल

निर्णय आज दिनांक 28.03.2016 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी जायल

उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर

Scanned by CamScanner